आयकर अपीलीय अधिकरण,
इंदौर (एकल सदस्यीय प्रकरण) न्यायपीठ, इंदौर

श्री मनीष बोरड, लेखा सदस्य के समक्ष

आ.अ.सं. 707 एवं 708/इंदौर/2024
निर्धारण वर्ष : 2019-20 तथा 2020-21

स्वामी प्रीतमदास गोविंदराम पारमार्थिक संस्थान स्वामी प्रीतमदास सभागार, साधु वासवानी नगर, स्कीम नं. 31, इंदौर	बनाम	अधिकारिता निर्धारण अधिकारी, इंदौर/ सीपीसी बैंगलोर
अपीलार्थी		प्रत्यर्थी
स्था.ले.सं.- एएएचएएस0694 एन PAN - AAHAS0694N		

अपीलार्थी की ओर से :	श्री मिलिंद वाधवानी, प्राधिकृत प्रतिनिधि
प्रत्यर्थी की ओर से :	श्री आशीष पोरवाल, वरिष्ठ विभागीय प्रतिनिधि
सुनवाई तिथि :	25.02.2025
उद्‌धघोषणा तिथि :	27.02.2025

आदेश

निर्धारिती द्‌वारा ये अपीलें विद्‌वान अतिरिक्त / संयुक्त आयकर आयुक्त (अपील)-4, कोलकाता के अलग-अलग आदेशों दोनों दिनांक 26.07.2024 के विरूद्‌ध अपील के आधारों में वर्णित आधारों पर दाखिल की गई हैं ।

2. इन अपीलों की सुनवाई के दौरान निर्धारिती के विद्‌वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि विद्‌वान आयकर आयुक्त (अपील) द्‌वारा निर्धारिती को सुनवाई का कोई उचित, तर्कसंगत तथा सार्थक अवसर नहीं दिया गया था । विद्‌वान आयकर आयुक्त (अपील) ने प्रकरणों के गुणागुण का उचित रूप से परीक्षण किए बिना आक्षेपित एक पक्षीय आदेश पारित किये थे । अतः यह अनुरोध किया गया कि विद्‌वान आयकर आयुक्त (अपील) को इस संबंध

में निदेश दिए जाए । दूसरी ओर, विद्वान विभागीय प्रतिनिधि ने निम्न प्राधिकारियों के आदेशों पर निर्भरता रखी परंतु उन्हें कोई आपत्ति नहीं थी यदि ये प्रकरण नये सिरे से न्यायनिर्णयन हेतु आयकर आयुक्त (अपील) की फाईल में वापिस भेजे जाते हैं ।

3. मैंने दोनो पक्षों को सुना है तथा निम्न प्राधिकारियों के आदेशों का अवलोकन किया है। मैंने पाया कि वर्तमान अपीलों में, निर्धारिती को उचित एवं प्रभावी अवसर नहीं दिया गया था। इसके अतिरिक्त, विद्वान आयकर आयुक्त (अपील) ने प्रकरणों के गुणागुण का उचित रूप से परीक्षण किए बिना आदेश पारित किये थे, जो कि न्यायसंगत नहीं हैं । अतः, न्याय के हित में, मैं विद्वान आयकर आयुक्त (अपील) के आदेशों को अपास्त करना उपयुक्त समझता हूँ । ये अपीलें निर्धारिती को सुनवाई का उचित अवसर देने के पश्चात विधि के अनुसार गुणागुण पर निर्णयित करने के निदेश के साथ विद्वान आयकर आयुक्त (अपील) की फाईल में प्रतिप्रेषित की जाती हैं तथा निर्धारिती को भी इस संबंध में विद्वान आयकर आयुक्त (अपील) के समक्ष उपस्थित होने/ सहयोग करने का निदेश दिया जाता है ।

4. परिणामतः, निर्धारिती की अपीलें सांख्यिकीय उद्देश्यों से स्वीकृत की जाती हैं ।

यह आदेश 27.02.2025 को खुले न्यायालय में उदघोषित किया गया है।

हस्ता/-
(मनीष बोरड)
लेखा सदस्य

दिनांक : 27.02.2025

प्रतिलिपि : अपीलार्थी, प्रत्यर्थी, आयकर आयुक्त (अपील), आयकर आयुक्त, विभागीय प्रतिनिधि, गार्ड फ़ाइल